यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखंड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखंड, देहरादून** के माह जनवरी 2014 से मार्च 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 26/05/2018 से 06/06/2018 तक श्री एस॰के॰ वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी, वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2014 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य है इकाई का क्रियाकलाप राज्य मे शैक्षणिक गतिविधियों / प्रशिक्षण पर प्रशासननिक नियंत्रण रखना है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन `	व्यय `	व्यय अधिक्य	बचत/ अभ्यर्पण
2013-14	**सामान्य शिक्षा**	81.19	65.67	-	15.52
2014-15	--	302.30	272.90	-	29.40
2015-16	**सामान्य शिक्षा**	561.52	559.04	-	2.48
2016-17	--	550.73	547.77	-	2.96
2017-18	--	75.73	71.31	-	4.42
योग		**1571.47**	**1516.69**	-	**54.78**

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

शून्य-------

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा **पृष्ठ** _____ पर संलग्न है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य है नमूना लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च **2014 एवं मार्च 2017** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो ब</u>

प्रस्तर 1:- सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कक्षा 1 से 8 की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ प्रिंटिंग प्रेस को ₹ 55.16 लाख का अधिक मात्रा मे कागज का आपूर्ति किया जाना।

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है।

शिक्षा सत्र 2017-18 के लिए कक्षा 1 से 8 की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ पाठ्य पुस्तक समिति का गठन कर (जून 2016) निविदा आमंत्रित की गयी थी। पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु कागज़ क्रय हेतु निम्न शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की गयी थी:

- सफल निविदाता को वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए मुद्रित की जाने वाली खुले बाज़ार की पाठ्य पुस्तकों के लिए भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिए निर्धारित दर पर ही FOR Destination सहित कागज़ की आपूर्ति करनी होगी जिसके लिए मुद्रकों द्वारा सीधे संबन्धित पेपर मिल / अधिकृत विक्रेता से मांग की जाएगी।
- खुले बाज़ार के लिए मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के कागज़ का भुगतान मुद्रक द्वारा स्वयं किया जाएगा।

पुस्तक के मुद्रण हेतु निविदा निम्न शर्तो के अधीन आमंत्रित की गई थी:

- सम्पूर्ण कार्य पूरा करने के लिए कागज़ प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम दो माह का समय दिया जाएगा।
- कार्य पूर्ण करने का तात्पर्य निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की FOR Destination सहित सभी 13 जनपद मुख्यालयों मे आपूर्ति तथा वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए खुले बाज़ार मे राज्य के सभी जनपदों मे बिक्री के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने से है। मुद्रण मात्र से ही कार्य पूर्ण नहीं समझा जाएगा।
- पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ निविदादाता केवल उतनी पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ वित्तीय बिड मे दरे अंकित करेंगे, जितनी पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ उनके पास भौतिक संसाधन उपलब्ध हो।
- वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयो के छात्र/ छात्राओ को आसानी से पाठ्य पुस्तके सुलभ हो सके, के लिए चयनित निविदादाताओं द्वारा अनुबंध करने से पूर्व शपथ पत्र मे जनपद स्तर पर कम से कम एक पुस्तक विक्रेता का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिनको उनके द्वारा अनिवार्य रूप से पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करवानी होगी।
- ज़िला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ज़िला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जनपद स्तर पर मुद्रकों द्वारा आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों की संख्या का सत्यापन कर आख्या से निदेशालय को विलंबतम 5 दिनो के भीतर सूचित किया जाएगा। साथ ही मुद्रक द्वारा प्रस्तुत चालान को भी सत्यापित कर तत्काल निदेशालय को उपलब्ध किया जाएगा।

इकाई की लेखापरीक्षा (मई - जून 2018) मे अभिलेखो की जांच मे देखा गया किआमंत्रित प्रकाशन निविदा (कक्षा 1 से 8 तक हेतु) के अनुसार निर्मित तुलनात्मक विवरण के अनुसार कुल तीन निविदा प्राप्त हुई थी, प्राप्त निविदा मे कुल 55 प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों मे 54 पुस्तकों के प्रकाशन की दरे मेसर्स जी. टेक. प्रिंट वर्क्स, मथुरा की कम थी तथा एक पुस्तक के लिए मै. दीपक प्रिंटर एंड पब्लिशर्स, हल्द्वानी की दर कम थी। मै. दीपक प्रिंटर्स एवं पब्लिशर्स, हल्द्वानी ने अनुरोध किया था कि वे 37 किताबों के मुद्रण एवं आपूर्ति का कार्य कम दरो पर करना चाहते है, तदनुसार शासन के पत्र दिनांक 19.01.2017 के अनुसार इस प्रकार से पुस्तकों के मुद्रण हेतु अनुमोदन कर दिया गया था।

मुद्रकों के साथ गठित अनुबंध (24.01.2017 एवं 31.01.2017) के अनुसार पेपर मिल से कवर पेज की अंतिम खेप पहुचाने की तिथि से दो माह के भीतर सभी जनपद मुख्यालय मे निः शुल्क पाठ्य पुस्तक तथा वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयो के लिए खुले बाज़ार मे पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी (अनुबंध का प्रस्तर 5)। अनुबंध गठित करने के एक सप्ताह के उपरांत मुद्रकों को कागज क्रय आदेश जारी किए गए थे (**अनुलग्नक क**)।

इस प्रकार 82.05 मेट्रिक टन[1] 80 जीएसएम[2]कागज का पूर्ति आदेश (क्रयादेश के अनुसार कागज का मूल्य ₹ 55.16 लाख) मुद्रक फ़र्म मेसर्स जी टेक प्रिंट वर्क्स, मथुरा को मुद्रक मेसर्स दीपक प्रिंटर्स से अधिक दिया गया था, जबकि दीपक प्रिंटर्स को 37 किताबे (प्रति सेट कुल प्रिंटिंग मूल्य 139.82) एवं मे मेसर्स जी टेक प्रिंट वर्क्स, मथुरा को मात्र 18 किताबे (प्रति सेट कुल प्रिंटिंग मूल्य ₹ 81.23) ही छापनी थी।

इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2014-15 मे भी कागज आपूर्ति हेतु असमान रूप से कार्य आदेश जारी किए गए थे, प्रिंटिंग प्रेस मेसर्स राज इंटर प्राइसेस, हल्द्वानी को मात्र 07 किताबों (प्रति सेट ₹ 48.06) के छापने का आदेश दिया गया था, को मेसर्स दीपक प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स,बरेली रोड हल्द्वानी तथा मेसर्स उत्तरांचल पेपरकन्वर्टर्स एंड पब्लिशेर्स, देहरादून जिन्हे क्रमश 09 (प्रति सेट ₹ 47.68 प्रिंटिंग लागत) एवं 10 किताबे छापना था (प्रति सेट ₹ 86.49 लागत), से ज्यादा कागज के आपूर्ति आदेश जारी किए गए थे। मेसर्स उत्तरांचल पेपर कन्वर्टर्स एंड पब्लिशेर्स की तुलना मे 304.06 MT तथा मेसर्स दीपक प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, बरेली की तुलना मे 29.66 MT ज्यादा के आदेश जारी किए गए थे (**अनुलग्नक ख**)।

लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि मे. जी टेक प्रिंट वर्क्स, मथुरा के अनापत्ति तथा मेसर्स दीपक प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, हल्द्वानी की सहमति से 37 पुस्तकों के छापने का कार्यमेसर्स दीपक प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, हल्द्वानी को दिया गया था इस पर शासन का अनुमोदन लिया गया था परंतु इससे अधिप्राप्ति संबंधी प्रावधान अनुपालित नहीं हुए। कागज के आपूर्ति के संबंध मे बताया गया कि सफल निविदादाता को पाठ्य पुस्तकों के आकार, पृष्ठ संख्या तथा प्रतियो की संख्या के आधार पर तथा विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित कागज के मात्रा के आधार पर आपूर्ति आदेश जारी किया गया था।

कागज की मात्रा के संबंध मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पुस्तक के संख्या एवं प्रति सेट छपाई लागत मे आनुपातिक तुलना[3] करने पर किया गया कागज आपूर्ति त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

अतः पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ प्रिंटिंग प्रेस को ₹ 55.16 लाख का अधिक मात्रा मे कागज का आपूर्ति किए जाने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

अनुलग्नक 'क'

[1]80 जी एस एम 747.98 M T - 665.93 M T = 82.05 M T

[2]जी एस एम : ग्राम प्रति वर्ग मीटर

[3]मेसर्स दीपक प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, हल्द्वानी 37 किताबे प्रति सेट छपाई रु 139.82 (37x 139.82=5173.34)मे. जी टेक प्रिंट वर्क्स, मथुरा 18 किताबे प्रति सेट छपाई रु 81.23 (18 x 81.23=1462.14) स्पष्ट था किदीपक प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा संपादित कार्य का आयतन अधिक था जबकि उसे कम कागज दिया गया था।

क्रम संख्या	आदेश संख्या	पेपर मिल का नाम	कागज का भार G S M	मुद्रक का नाम	
				मेसर्स दीपक प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स,बरेली रोड, हल्द्वानी	मेसर्स जी टेक प्रिंट वर्क्स, मथुरा
				कागज की मात्रा M Tमे	
1.	प्रका वी /102 दिनांक 07/02/2017	मेसर्स डी पी पपेर्स प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	250	89.37	50.78
2.	प्रका वि /103 दिनांक 07.02.2017	मेसर्स डी पी पपेर्स प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	80	365.93	446.41
3.	प्रका वी /104 दिनांक 07/02/2017	मेसर्स डी एम कार्पोरेशन, लखनऊ	80	-	301.57
4.	प्रका वी /104 दिनांक 07/02/2017	मेसर्स सेतिया इंडस्ट्रीज़, नई दिल्ली	80	300.00	-
		योग		**755.30**	**798.76**

अनुलग्नक 'ख'

क्रम संख्या	आदेश संख्या	पेपर मिल का नाम	कागज का भार G S M	मुद्रक का नाम			
				मेसर्स दीपक प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स,बरेली रोड, हल्द्वानी	मेसर्स राज इंटेर्प्रिसेस , हल्द्वानी	मेसर्स जाम मल्टिकलर प्रिंट एंड पैक, सहारनपुर	उत्तरांचल पेपर्स अँड कोन्वेर्तेर्स एंड पब्लिशेर्स, देहरादून
				कागज की मात्रा M T मे			
1.	प्रका वी /25 दिनांक 25 /05/2015,	मेसर्स सेतिया इंडस्ट्रीज़, नई दिल्ली	80	5.72	20.17	-	-
	प्रका वी /18 दिनांक 01 /05 /2015,		80	-	-	170.91	-
	प्रका वी /13 दिनांक 25 /04		80	252.37	-	-	156.69

	/2015						
2.	प्रका वी /19 दिनांक 01 /05 /2015 प्रका वी /11 दिनांक 24 /04 /2015	मेसर्स डी एम कार्पोरेशन, लखनऊ	80 250 250	- - 31.77	- - 26.23	- 21.68	- -
3.	प्रका वी /12 दिनांक 24 /04 /2015	मेसर्स श्रेयान्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली	80	173.00	440.58		
4.	प्रका वी /10 दिनांक 24 /04 /2015 प्रका वी /1713-14 दिनांक 24 /04 /2015	मेसर्स डी पी पेपेर्स लिमिटेड, लखनऊ	250 80 250			419.82 60.88	19.24
		योग		**431.09** **31.77**	**460.75** **26.23**	**590.73** **82.56**	**156.69** **19.24**

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		उपरोकतानुसार		

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्य

--------------शून्य-----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अपर **निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1。	श्रीमति सीमा जौनसारी	निदेशक	2013-14 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकर भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.